सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः— 132/प्रा0पत्र/2022 दायरा दिनांक :—24.06.2022

GCMS ID—2022/222

उनवान

1. कालीबाई पत्नी स्व0 मोतीलाल जाति कीर निवासी आरामपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. गोपाल आ0 नंदा जाति कीर निवासी आरामपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. जगन्नाथ आ0 नंदा जाति कीर निवासी आरामपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. धनराज आ0 मोतीलाल जाति कीर निवासी आरामपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. पन्नालाल आ0 नंदा जाति कीर निवासी आरामपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. मीनाक्षी पुत्री मोतीलाल जाति कीर निवासी आरामपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
7. हजारीलाल नंदा जाति कीर निवासी आरामपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
8. रामकरण आ0 छीतर जाति गुर्जर निवासी अणदगंज तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री कृष्ण आ0 सुरजमल निवासी बालापुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत

वकील प्रार्थी :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन

वकील अप्रार्थीगण :— एक पक्षीय कार्यवाही

आदेश

दिनांक : 23.06.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि भूमि खसरा संख्या 2709/2306 रकबा 1.1898 हैक्टेयर वाके ग्राम धोवडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण 1 लगायत 8 खातेदार दर्ज है। भूमि खसरा संख्या 2307 रकबा 1.6187 हैक्टेयर वाके ग्राम धोवडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जिसमें खातेदार के स्थान पर प्रार्थीगण 1 लगायत 7 अंकित है। भूमि खसरा संख्या 2316 रकबा 2.605 हैक्टेयर वाके ग्राम धोवडा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जिसमें खातेदार के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 का नाम अंकित है। भूमि खसरा संख्या 2316 एवं 2297 व 2685/2296 के मध्य गांव से रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

निकला हुआ है जिस पर होकर काश्तकार अपने खेतों पर आते जाते है। प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि खसरा संख्या 2307 व 2709/2306 पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। आम रास्ते से होते हुए 2297 के उत्तरी ओर से 2316 में होते हुये 2307 व 2709/2308 पर आते जाते है परंतु उक्त रास्ता विधिवत नहीं है और खसरा संख्या 2316 के अलावा कोई अन्य रास्ता प्रार्थीगण के पास अपने खेतों में आने जाने का नहीं है। प्रार्थीगण ने राजस्व अधिकारियों से कई बार रास्ता देने के लिये निवेदन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। अंतिम बार प्रार्थीगण ने 13 जून 22 को रास्ते के लिए निवेदन किया यही वाद कारण है। नजरी नक्शा साथ में संलग्न है नजरी नक्शे में लाल स्याही से चाहा गया रास्ता अंकित किया हुआ है। प्रार्थीगण को अपने खेतों पर आने जाने के लिये नजरी नक्शे पर लाल स्याही से चिन्हित स्थान पर 12 फुट चोडा रास्ता अपने खेतों पर आने जाने फसल लाने ले जाने, ट्रेक्टर ट्रोली लाने–ले जाने के लिए आवश्यकता है। रास्ते की जगह के लिए जो भी जगह खसरा संख्या 2316 की खराब होगी उसके लिए प्रार्थीगण न्यायालय के आदेशानुसार जो भी डीएलसी दर से जो भी राशि बनती हो उसे अदा करने को तैयार है। वाद कारण अंतिम बार 13.06.2022 से लगातार उत्पन्न हो रहा है अतः प्रार्थना पत्र अवधि मध्य पेश है। भूमिया श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः श्रीमान को यह प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 2 को भूमिधारी होने से तकमीली पक्षकार बनाया है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क व उचित तलबाने पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से चिन्हित स्थान पर खसरा संख्या 2316 में 12 फुट चौडा रास्ता दिये जाने की आज्ञा प्रदान करे और उसे राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में अंकन फरमाया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो दी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 की तामिल साधारण डाक, रजि0 डाक व जर्रिये अखबार प्रकाशन के करवाये जाने पर भी उसके अनुपस्थित रहने पर दिनांक 18.06.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अप्रार्थी सं0 2 सरकार की ओर से नायब तहसीलदार दबलाना की ओर से पत्रांक :–राजस्व/25/597 दिनांक :–22.04.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2307 वाके ग्राम धोवडा पटवार मण्डल धोवडा में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 2316 जो कि अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी भूमि है, में से होते हुए 12 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थीगण इस बाबत निर्धारित प्रतिकर राशि जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नायब

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा सं0 2307 वाके ग्राम धोवडा में आने जाने हेतु खसरा संख्या 2316 अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी भूमि में से 13 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उक्त रास्ता लघुतम है, प्रार्थी को उक्त रास्ते की आंत्यातिक अवश्यकता होना अंकित किया है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 72 के खसरा संख्या 2307 वाके ग्राम धोवडा पटवार मण्डल धोवडा में आने—जाने हेतु नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम धोवडा के खाता सं0 359 के खसरा संख्या 2316 ~~236(बीड)~~ में से कुल 13 फीट चौडे व 240 फीट लम्बे रास्ते में कुल 0.0970 हैक्टेयर भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी राशि 1140000/रू— प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.0970 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 110580/रू— जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 221160/रू को निर्धारित मद में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को भुगतान कर/डी.डी. बनवाकर न्यायालय में पेश करने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहर्रीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :— 23.06.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

23/06/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446